राजस्थान सरकार

नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.–2021/डीएलबी/21/26461 दिनांक :– 30/12/2021

आदेश

राज्य सरकार की कच्ची बस्ती नियमन नीति–2005 के अन्तर्गत स्वायत्त शासन विभाग के जारी परिपत्र दिनांक 25.04.2007 के बिन्दु संख्या 3.5 (ग) के नोट 2 (छ) में निम्नानुसार प्रावधित है :–

"कच्ची बस्ती में जारी किये जाने वाले पट्टे 99 वर्षीय लीज के आधार पर जारी किये जावेगें।"

इसके अतिरिक्त (ज) में निम्न प्रावधान है:–

"इन पट्टों पर नियमन राशि की एक प्रतिशत लीज राशि एकमुश्त वसूल की जाकर पट्टे जारी किये जायेगें।"

उपरोक्त प्रावधानों से स्पष्ट है कि कच्ची बस्ती के पट्टे 99 वर्षीय लीज के आधार पर जारी होगें। वर्ष 2004 तक की सर्वेशुदा कच्ची बस्ति यों में पूर्व में यदि किन्ही प्रकरणों में कच्ची बस्ती के पट्टे अल्प अवधि 5 वर्ष या अन्य अवधि के लिए जारी किये गये है तो ऐसे पट्टो को समर्पित करवा कर, उक्त विभागीय परिपत्र दिनांक 25.04.2007 के प्रावधानों के अनुसार 99 वर्षीय लीज पर एक मुश्त लीज राशि वसूल कर पट्टे जारी किये जावें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ट सचिव

क्रमांक :पीएसकेएस अभि.–2021/डीएलबी/21/26462–26967 दिनांक :–30/12/2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, स्वायत्त शासन एवं आवासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज., जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, ज़यपुर।
5. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
6. महापौर/सभापति/अध्यक्ष नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
7. समस्त उपनिदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान।
8. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका समस्त राजस्थान।
9. अधीक्षक केन्द्रीय लेखन एवं मुद्रणालय, राजस्थान जयपुर को आगामी असाधारण अंक राजस्थान राजपत्र में उपरोक्त परिपत्र प्रकाशित करने एवं पांच प्रतियां उपलब्ध कराने हेतु।
10. समस्त अधिकारीगण, निदेशालय।
11. संयुक्त निदेशक, आई.टी. अनुभाग निदेशालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
12. सुरक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त निदेशक

D/PSKS2021/Order